15.20 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Item No.22, Matters under Rule 377. Matters under Rule 377 listed for the day be treated as laid on the Table of the House.

Title: Need to extend Gonda-Bahraich rail line upto Tikunia Lakhimpur border and release adequate funds for the purpose. -- Laid.

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच): अध्यक्ष महोदय, गोंडा और बहराइच के बीच आमान परिवर्तन 7 जून, 2002 को माननीय रेल मंत्री जी ने किया था। आमान परिवर्तन के परिणामस्वरूप गोंडा और बहराइच के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा सुखमय होगी । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस लाइन का विस्तार तिकूनिया, लखीमपुर बार्डर तक किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ इस र्वा वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। सरकार को गोंडा और लखीमपुर से दिल्ली तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भी गाड़ियां चलानी चाहिए, जिससे यहां से दिल्ली तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अन्य दूर-दूर स्थानों पर गाड़ी पकड़ने की असुविधा से बचाया जा सके। आशा है, सरकार इस बारे में यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी।

* Treated as laid on the Table.